UPBJ010053642021

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Baljor Singh), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06003

विशेष सत्र परीक्षण सं0 960/2021

सरकार बनाम राजू।

आरोप

मैं बलजोर सिंह, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट) बिजनौर आप अभियुक्त राजू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ।

1– यह कि दिनांक 27–03–2021 को समय 3.00 बजे रात्रि स्थित ग्राम ढकौली अन्तर्गत थाना नहटौर जनपद बिजनौर में आपने वादनी मुकदमा प्रीति जब वह अपने घर में अपने बच्चो के साथ सोई हुयी थी, अपने आपको निर्वस्त्र कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसकी सलवार ,खोलने की कोशिश की। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 354 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर वादनी मुकदमा प्रीति जब अपने बच्चो के साथ रात्रि में अपने घर में सोई हुयी थी तो आपने वादनी मुकदमा के घर मे बुरी नियत से घुसकर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 452 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर जब वादनी मुकदमा अपने घर में रात्रि में अपने बच्चो के साथ सोई हुयी थी तो आप अपने आपको को निर्वस्त्र कर वादनी मुकदमा के घर मे घुसकर उसकी सलवार खोलने की कोशिश की तथा जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या हैं। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा 3(2) 5 क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 22–03–2022

(बलजोर सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 22–03–2022

(बलजोर सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।